

राजस्व अपील संख्या 49/2022

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पॉन्डेन्ट
1. जगाराम पुत्र श्री बक्साराम 2. हरिराम पुत्र श्री बक्साराम 3. आसाराम पुत्र श्री बक्साराम 4. तुलछा देवी पत्नी नृसिंहराम 5. मनीषा पुत्री नृसिंहराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमती तुलछा देवी पत्नी श्री नृसिंह 6. कोची देवी पुत्री श्री बक्साराम 7. सीतादेवी पुत्री श्री बक्साराम 8. भिदा देवी पुत्री श्री बक्साराम 9. केशू देवी पत्नी श्री बक्साराम जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम मंगेरिया, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।		1 कानाराम पुत्र भेरूराम 2 हडमानराम पुत्र भेरूराम, जाति जाट, निवासी-ग्राम मंगेरिया, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर प्रफोर्मा रेस्पॉन्डेन्ट:- 3. बुद्धाराम पुत्र मोडाराम 4. नैनाराम पुत्र मोडाराम 5. भागीरथ पुत्र मोडाराम 6. नारायण राम पुत्र लिछमणराम के का०मु०:- 6/1 बाबूराम पुत्र नारायणराम 7. झुंझाराम पुत्र हेमाराम 8. कवरवाई पत्नी शिवदानराम 9. सिद्धाराम पुत्र लिछमणराम जातियान जाट, निवासीगण - ग्राम मंगेरिया, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर 10. गजेसिंह पुत्र प्रभूसिंह 11. भगवानसिंह पुत्र हिम्मतसिंह 12. उच्छवकंवर पत्नी प्रभूसिंह 13. सज्जनकंवर पत्नी हिम्मतसिंह 14. सुरजनकंवर पत्नी अनोपसिंह जातियान जाट, निवासीगण - ग्राम मंगेरिया, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर 15. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार भोपालगढ, जिला जोधपुर।



राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बविरुद्ध निर्णय दिनांक 8.10.2021, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ, जिला जोधपुर, राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं० 66/2020 बअनवान कानाराम वगैराह बनाम बक्साराम के का०मु० वगैरा में पारित किया गया।

उपस्थिति:-

- 1- श्री अशोक चौधरी, अधिवक्ता, अपीलान्ट्स की ओर से।
- 2- श्री बाबूलाल विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पॉ० संख्या 1 व 2की ओर से।
- 3- श्री नवल सिंह दहिया, राज० अधिवक्ता रेस्पॉ.संख्या 15 की ओर से।
- 3- शेष रेस्पॉडेन्ट्स अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 31 जुलाई 2023
प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ, जिला जोधपुर के यहां प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मंगेरिया, तहसील भोपालगढ की सरहद में भूमि खाता संख्या 242 ख०सं० 627 रकबा 09.09 बीघा, ख०सं० 655 रकबा 01.15 बीघा, ख०सं० 732 रकबा 10.05 बीघा, ख०सं० 627/2 रकबा 09.09 बीघा, ख०सं० 655/1 रकबा 01.16 बीघा, ख०सं० 732/1 रकबा 10.16 बीघा कुल रकबा 44.01 बीघा भूमि प्रार्थीगण की आई है। सबूत में नकल

जमाबंदी सम्वत् 2061 से 2064 व नक्शा ट्रेस संलग्न पेश है। प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुदा जमीन खसरा सं० 627 व 627/2 के पश्चिम में ख०सं० 619, पूर्व में ख०सं० 628 सरकारी भूमि, दक्षिण में 627/1 व उत्तर में कांकड माठ आई हुई है। पूर्व में आबादी भूमि ख०सं० 656 है पश्चिम में 653 खसरा सरकारी भूमि है उत्तर में ख०सं० 654 आया तथा ख०सं० 732/ व 732/1 के पूर्व में ख०सं० 731, दक्षिण में रास्ता व उत्तर में ख०सं० 730/1, पश्चिम में ख०सं० 733, 734 व 737 है। उक्त पडौस के बीच वाले हमारी खातेदारी की भूमि के जिस पर उनका कब्जा काशत चला आ रहा है। ख०सं० 627/2 के दक्षिण की तरफ की खातेदारी माठ को व ख०सं० 655 व ख०सं० 655/1 व ख०सं० 655 के पूर्वी माठ को अप्रार्थी संख्या 1 खुर्द-बुर्द कर रहा है। जिस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी की उपरोक्त खसरान की रकबा भूमि का नाप-चौक कर सीमांकन कर पत्थर गढी करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम मंगेरिया के खसरा संख्या 627, 627/2, 655, 655/1, 732, 732/1 का नाप -चौक कर पत्थरगढी के आदेश प्रदान करावें। प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत मूल वाद शीर्षक में अप्रार्थी सं० 1 से 5 के फौत होने से उनके कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय देकर अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 का नाम विलोपित करने का आदेश दिया गया, अप्रार्थी सं० 01 से 13 बावजूद तामील सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। तत्पश्चात् प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 8.10.2021 को उक्त अपीलार्थीगण निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित एक पक्षीय निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलान्टस को उक्त निर्णय की जानकारी हाल ही में राजस्व कर्मचारियों की टीम को लेकर रेस्पोंडेन्ट संख्या एक मौके पर आये और अपीलान्टस की भूमि की पैमाइश करने लगे तब पूछताड की तो बताया कि उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय से पत्थरगढी का निर्णय पारित करवा लिया है और नाप कर पक्के मुटाम लगा दिये जायें तब उनके द्वारा दिनांक 19.1.2022 को जारी नोटिस की प्रति दी, तब अपीलान्टस द्वारा अधिवक्ता से सम्पर्क कर नकल हेतु आवेदन कर दिनांक 4.2.2022 को प्रमाणित प्राप्त की तब जानकारी हुई है। अतः उक्त दिनांक से अपील प्रस्तुत करने बाबत अपील को म्याद की अवधि में मानते हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जावें।

दौरान सुनवाई अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलार्थीगण निर्णय प्राकृतिक न्याय के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरित है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवायी का अवसर दिये बिना ही एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा न तो अपने स्तर पर भूमि की मौका रिपोर्ट मंगवायी गयी और न ही तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवायी गयी। वास्तव में अपीलार्थीगण एवं रेस्पोंडेन्ट सं० 01 व 02 के मध्य भूमि के सीमाओं को लेकर कभी कोई विवाद नहीं रहा, फिर भी रेस्पोंडेन्ट सं० 01 व 02 के द्वारा इस प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि बदनियती के चलते उक्त प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने हेतु प्रस्तुत किया है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि यदि अप्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं तथा अप्रार्थीगण का जवाब बंद कर दिया गया है तो वह हल्का पटवारी से प्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट सं० 01 व 02 तथा अपीलान्टस की भूमि की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब कर अग्रिम कार्यवाही सम्पादित करते ताकि वस्तुस्थिति न्यायालय के समक्ष आ जाती और तत्पश्चात् प्रकरण का मेरिट पर निस्तारण किया जाता किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा केवल मात्र रेस्पोंडेन्ट सं० 01 व 02 के द्वारा अपने स्तर पर तैयार करवाये गये दस्तावेजों को आधार

मानते हुए उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि तत्समय में खेतों में रबी की फसल खड़ी है, उक्त परिस्थिति के चलते यदि पत्थरगढी की जाती है और भूमि की पैमाइश हेतु व्यक्तियों का झुण्ड भूमि में प्रवेश करता है तो खड़ी फसल को भारी नुकसान होने से इंकार नहीं किया जा सकता है, ऐसी परिस्थिति में पत्थरगढी नहीं की जा सकती थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस तथ्य पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपील को म्याद की अवधि में पेश होना मानते हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किया जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.10.2021 को निरस्त किया जावे।

प्रत्युत्तर में रेस्पोंडेन्टस के अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि रेस्पोंडेन्ट संख्या एक/प्रार्थी संख्या 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ, जिला जोधपुर के यहां प्रस्तुत कर यह निवेदन किया था कि राजस्व ग्राम मंगेरिया, तहसील भोपालगढ की सरहद में भूमि खाता संख्या 242 ख0सं0 627 रकबा 09.09 बीघा, ख0सं0 655 रकबा 01.15 बीघा, ख0सं0 732 रकबा 10.05 बीघा, ख0सं0 627/2 09.09 बीघा, ख0सं0 655/1 रकबा 01.16 बीघा, ख0सं0 732/1 रकबा 10.16 बीघा कुल 06 खसरा रकबा 44.01 बीघा भूमि प्रार्थीगण की आई हुई है। सबूत में नकल जमाबंदी सम्वत् 2061 से 2064 व नक्शा ट्रेस संलग्न पेश है।

रेस्पोंडेन्टस के अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुदा जमीन खसरा सं0 627 व 627/2 के पश्चिम में ख0सं0 619, पूर्व में ख0सं0 628 सरकारी भूमि, दक्षिण में 627/1 व उत्तर में कांकड माठ आई हुई है। पूर्व में आबादी भूमि ख0सं0 656 है पश्चिम में 653 खसरा सरकारी भूमि है उत्तर में ख0सं0 654 आया तथा ख0सं0 732/ व 732/1 के पूर्व में ख0सं0 731, दक्षिण में रास्ता व उत्तर में ख0सं0 730/1, पश्चिम में ख0सं0 733, 734 व 737 है। उक्त पडौस के बीच वाले हमारी खातेदारी की भूमि है जिस पर उनका कब्जा काश्त चला आ रहा है। ख0सं 627/2 के दक्षिण की तरफ की खातेदारी माठ को व ख0सं0 655 व ख0सं0 655/1 व ख0सं0 655 के पूर्वी माठ को अप्रार्थी संख्या 1 खुर्द-बुर्द कर रहा है। जिस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी की उपरोक्त खसरान की रकबा भूमि का नाप-चौक कर सीमांकन कर पत्थर गढी करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम मंगेरिया के खसरा संख्या 627, 627/2, 655, 655/1, 732, 732/1 का नाप-चौक कर पत्थरगढी के आदेश प्रदान करावे।

रेस्पोंडेन्टस के अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत मूल वाद शीर्षक में अप्रार्थी सं0 1 से 5 के फौत होने से उनके कायम मुकाम को रेकॉर्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय देकर अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 का नाम विलोपित करने का आदेश दिया गया, अप्रार्थी सं 01 से 13 बावजूद तामील सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। ऐसे में अपीलान्ट यह नहीं कह सकते कि उन्हें प्रकरण में सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है। तत्पश्चात् रेस्पोंडेन्ट संख्या एक/प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर तथा पैत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरान्त रेस्पोंडेन्ट संख्या एक/प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 8.10.2021 को उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर सीमांकन व पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये गये है जो विधि अनुकूल एवं उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पोंडेन्टस के अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर सेढे व माढ वर्तमान में मौजूद है तथा दोनों पक्षों के द्वारा अलग-अलग कब्जा काश्त किया जा रहा है उनके द्वारा किसी प्रकार से अपीलान्टस की भूमि पर काश्त नहीं की जा रही है और न ही कोई हस्तक्षेप किया जा रहा है। अपीलान्टस द्वारा अपील में झूठे तथ्य अंकित



करते हुए अपील पेश की गई है जो खारिज योग्य है। अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील भी म्याद बाहर पेश की गई है जो अस्वीकार करने योग्य है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन आदेश की पालना में तहसीलदार भोपालगढ के द्वारा दिनांक 8.2.2023 को सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी करवाई जाकर मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जा चुकी है जिसकी प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत है, ऐसे में अपीलान्टस की यह अपील सारहीन व प्रभावहीन हो चुकी है। अतः अपीलान्टस की अपील अस्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश को यथावत बहाल रखा जावे।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस पर मनन किया। अपीलान्ट अधिवक्ता के द्वारा अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र में प्रकट किये गये कथनों के आधार पर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलाधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससे यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण (वर्तमान अपीलान्टस) के सम्मन की तामीली होने के पश्चात एकतरफा कार्यवाही किया जाना आदेशिका में उल्लेखित किया है। सीमांकन/पत्थरगढी सम्बन्धी मौका रिपोर्ट दिनांक 8.2.2023 अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगणों को सूचित करते हुए खसरेवार सीमांकन/ पत्थरगढी का कार्य राजस्व टीम द्वारा किया गया। चूंकि राजस्व टीम द्वारा मुरतकिल बिन्दुओं से सीमांकन/पत्थरगढी सम्बन्धी किया जाना पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड से परिलक्षित होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 08.10.2021 में हस्तक्षेप की गुंजाइश प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विशलेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.10.2021 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 31 जुलाई, 2023 को सारे इजलास सुनाया गया।



(ओपीओबिश्नोई)
अतिरिक्त सहायक आयुक्त
अतिरिक्त सहायक आयुक्त
जोधपुर